न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 46/2022

श्री गोविन्द व्यास (पूर्व वार्ड पंच) मुकाम पोस्ट दूनी जिला टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.11.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

कार्यालय संभागीय आयुक्त अजमेर आर.टी.आई. 2022/9266 दिनांक 17.08.2022 के कम में।

मुझ प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत डाक से ग्राम पंचायत दूनी के तत्कालिन सरपंच स्व0 रामअवतार बलाई द्वारा पाक्षिक बैठक 05.01.2021 को अवेधानिक रूप से पंचायत राज नियोजक विपरित लिए प्रस्ताव को निरस्त एवं राज्यमार्ग 34 B C.H.C व यात्री प्रतिक्षालय व यादगार सर्कल के पास से अतिकमण हटवाने एक प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त महोदय संभाग कार्यालय अजमेंर भिजवाया था। भिजवाए गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की जानकारी। तब अति0 संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा उक्त पत्रांक से अवगत करवाया है कि चाही गई जानकारी जिला कलेक्टर टोंक से प्राप्त करे व सर्म्पक करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1582 दिनांक 7.11.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक आर.टी.आई./2022/1023 दिनांक 11.11.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक आर.टी.आई./2022/896 दिनांक 4.10.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा [illegible]र्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]न्मयी गोपाल)
प्र[illegible] अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)